



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती

E-mail: dfonnagar-forest-uk@nic.in

उत्तराखण्ड वन्यजीव हैल्पलाईन न०-18008909715(टोल फ्री)

Telefax- 0135-2442052

पत्रांक सं०: 1095 / 12-1

दिनांक 05 / 10 / 2024

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
श्रीनगर मु०-कीर्तिनगर

विषय :-

जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग में विकासखण्ड कीर्तिनगर के थाती डागर, रैतासी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.542 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/154901/2022)

सन्दर्भ :-

भारत सरकार का पत्रांक-08बी०/यू०सी०पी०/०६/२६/२०२३/एफ०सी०/६७४, दिनांक २९-०८-२०२४ के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के द्वारा प्रश्नगत मोटर मार्ग के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव मे सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है, जिसके क्रम में अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा उनके पत्रांक-992/12-1 दिनांक-19.09.2024 से, जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालन में निम्नलिखित शर्तें अधिरोपित कर निम्नानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है :-

शर्त संख्या-01 यदि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र आरक्षित वन है तो उसका अधिसूचना (Notification) भी अनुपालन आख्या के साथ संलग्न किया जाये।

शर्त संख्या-02 उपरोक्त के अतिरिक्त इस आशय का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जाना भी अपेक्षित है कि प्रस्ताव में स्वीकृत समरेखण में ही वृक्षों का पातन एवं स्वीकृत समरेखण में मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है।

शर्त संख्या-03 यदि अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्तावक विभाग को Working permission दे दी गयी है, तो उसकी प्रति भी उपलब्ध करायें।

शर्त संख्या-04 प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक-1269/P.O दिनांक 10.06.2022 द्वारा जारी पत्र में उल्लेखित बिन्दु सं०-01 के अनुपालन में यह सुनिश्चित करें कि ये क्षेत्र जब सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वन विभाग के पक्ष में दाखिल खारिज किये जाते हैं तो उस आदेश में यह स्पष्ट इंगित हो कि प्रश्नगत सिविल क्षेत्र का रकवा कितना है तथा उसमें से कितना क्षेत्र वन विभाग के पक्ष में दाखिल खारिज किया जा रहा है एवं यह क्षेत्र पूर्व में किसी अन्य योजना में अथवा वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत पूर्व में गठित प्रस्ताव में नहीं दिया गया है।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा जारी प्रश्नगत प्रकरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित निम्नलिखित शर्तें आपके अनुपालनार्थ अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

(क) राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने से पूर्व जिन शर्तों का पालन करना आवश्यक है।

1-प्रतिपूरक वनीकरण:

शर्त संख्या-(क) के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा रिक्त पड़े स्थानों पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 2.50 हे० अवनत वन भूमि डागर कक्ष संख्या-05 में 1084 पौधों के रोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) रू०-19,19,764.00 जमा की जाएगी। जहाँ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जायेगा तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिये।

वसूली वर्ष 2023-24 हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु धनराशि का विवरण :-

रिक्त पड़े स्थानों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का क्षेत्रफल	-	2.50 हे०
रिक्त पड़े स्थानों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर प्रति वृक्ष	-	1771.00 प्रति वृक्ष
रिक्त पड़े स्थानों में रोपण हेतु प्रस्तावित वृक्षों की संख्या	-	1084 वृक्ष
रिक्त पड़े स्थानों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की कुल लागत	-	1084 X 1771.00 = 19,19,764.00 रू. मात्र

ह

शर्त संख्या-(ख) के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित किये जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, वृक्षार प्रस्तावित एस0एम0सी कार्य और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

2-शुद्ध वर्तमान मूल्य:

शर्त संख्या-(क) के क्रम में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में IA no. 556 दि० 30.10.2002, 01.08.2003, 28.3.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक- 5-1/1998-एफ०सी० (pt. 2), दि० 18.09.2003, 5-2/2006-एफ०सी०, दि० 3.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ०सी०, दि० 05.02.2009 एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2023 में जारी दिशा निर्देशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य के रूप में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 0.542 हे० हेतु @ 12,92,850.00 प्रति हे० की दर से मु० 7,00,725 की धनराशि जमा करनी होगी। एन०पी०वी० की मांग का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :-

एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन

“प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश संख्या-F.No. 5-3/2011-एफ०सी० Vol-1(i) दिनांक 06-01-2022 में उल्लेखित व्यवस्था के अनुसार आवंटित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है” :-

ईको-क्लास श्रेणी-	V
हरियाली का घनत्व-	0.50 to 0.60 MDF
एन०पी०वी की दर प्रति हे०-	मु० 12,92,850.00 (बारह लाख बयानबे हजार आठ सौ पचास रुपये मात्र)
आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल-	0.542 हे०
कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि-	0.542 हे० X 12,92,850.00 = 7,00,725

शर्त संख्या- (ख) के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त धनराशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

3-शर्त संख्या-03 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा, जो कि प्रस्ताव के अनुसार 78 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।

4-शर्त संख्या-04 के अनुपालन में वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार मलबा निस्तारण नहीं किया जायेगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र प्रदान करेगी।

5- शर्त संख्या-05 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गाईडलाईन्स में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये पारित किये गये आदेश की प्रति भारत सरकार को प्रेषित की जायेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी। इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

6- शर्त संख्या-06 के अनुपालन में राज्य वन विभाग रैखिक परियोजना के मामले में दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार एक वर्ष हेतु वृक्षों के कटान एवं प्रारम्भिक कार्य किये जाने की अनुमति जारी कर सकता है। यदि कार्य की अनुमति की समाप्ति से पहले चरण-II का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है तो राज्य वन विभाग काम रोक देगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

7- शर्त संख्या-07 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफ०आर०ए०, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण-पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

8- शर्त संख्या-08 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in/>) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में हस्तान्तरित/जमा की जायेंगे। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

शर्त संख्या-09 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल <http://parivesh.nic.in/> पर भी अपलोड की जानी होगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

(ख) राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के पश्चात क्षेत्र में शर्तों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है, लेकिन वचन पत्र के रूप में अनुपालन चरण- II अनुमोदन से पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा।

1- शर्त संख्या-01 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।

2- शर्त संख्या-02 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग को सौंपे जाने के पश्चात ही वन भूमि सौंपी जायेगी।

3- शर्त संख्या-3 के अनुपालन में प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना के भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिये प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

4- शर्त संख्या-4 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण, राज्य वन विभाग द्वारा कार्य की अनुमति देने से पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की टिप्पणियाँ प्राप्त करेगी, यदि लागू हो। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

5- शर्त संख्या-5 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण, मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक/राज्य वन्यजीव बोर्ड/राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सभी शर्त, जहां भी लागू हो, को सख्ती से अनुपालन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

6- शर्त संख्या-6 के अनुपालन में नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (Mature Plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

7- शर्त संख्या-7 के अनुपालन में वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

8- शर्त संख्या-8 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करना होगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

9- शर्त संख्या-9 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा। इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

10- शर्त संख्या-10 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

11- बिन्दु संख्या-11 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा। जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।

12- शर्त संख्या-12 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिल्लर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

13- शर्त संख्या-13 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों ओर Central Verge पर Strip plantation करेगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

14- शर्त संख्या-14 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेग्युलेटिंग साइनेज बनाया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

15- शर्त संख्या-15 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण जहां भी लागू हो, वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर/करेगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

16- शर्त संख्या-16 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

17- बिन्दु संख्या-17 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।

18- शर्त संख्या-18 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

19- शर्त संख्या-19 के अनुपालन में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

20. शर्त संख्या-20 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्व निर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलबे का निस्तारण किया जायेगा कि व अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे तथा वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर उपयुक्त प्रजाति के पौधे लगाकर मलबा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलबे को यथास्थान रखने हेतु दिवारें बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजना अनुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलबा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

21- शर्त संख्या-21 के अनुपालन में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

22- शर्त संख्या-22 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से सम्बन्धित सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मा0 न्यायालय आदेश (आदेशों) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश (आदेशों) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

23- शर्त संख्या-23 के अनुपालन में इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम-1980 का उल्लंघन माना जायेगा एवं वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) नियम-2023 के अन्तर्गत निर्धारित कार्यवाही की जायेगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

संलग्न- सैद्धांतिक स्वीकृति की प्रति।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्या:- 1095 / 12-1 दिनांकित

प्रतिलिपि :- वन क्षेत्राधिकारी, कीर्तिपगर राजि को उपरोक्तानुसार पत्र की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही कि वन विभाग से सम्बन्धित समस्त बिन्दुओं की अनुपालन आख्या प्रयोक्ता अभिकरण को उपलब्ध कराते हुए एक प्रति इस कार्यालय को उप प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्या:- 1095 / 12-1 दिनांकित

प्रतिलिपि :- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :- वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती को सादर सूचनार्थ।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।